



2026:AHC:16672

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या -19665 वर्ष 2025

श्रीमती अनुरागिनी राय और 4 अन्य

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 4 अन्य

.....प्रतिपक्षी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता

: अखिलेश कुमार, सुनील कुमार

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता

: मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या- 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री अखिलेश कुमार और राज्य के विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री राहुल मालवीय की बात सुनी।
2. विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री राहुल मालवीय ने कहा है कि उन्हें सभी निर्देश भलीभांति प्राप्त हैं और वे प्रकरण की पैरवी करने में सक्षम हैं। वे कोई प्रति-शपथपत्र दाखिल नहीं करना चाहते और निवेदन करते हैं कि याचिका का निर्णय अभिलेख में उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर किया जाए।
3. पक्षकारों की सहमति से, रिट याचिका पर नए सिरे से विचार किया जा रहा है।
4. याचिकाकर्ता ने श्रीमती अनुरागिनी राय बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, रिट-ए संख्या 16021 वर्ष 2025 के खिलाफ दायर की थी, जिसका निस्तारण 30.10.2025 को हुआ था, जिसका आदेश नीचे दिया गया है:-

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



"1. हमने याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री अखिलेश कुमार और राज्य-प्रतिपक्षी की ओर से उपस्थित होने वाले विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री गया प्रसाद की बात सुनी।"

2. याचिकाकर्ताओं का प्रकरण यह है कि उन्हें एनएनएम के पद पर तैनात किया गया था और उन्हें 70-80 किलोमीटर दूर एक स्थान पर स्थानांतरित कर दिया गया है, जो स्थानांतरण में प्राथमिकता लेने की नीति के विरुद्ध है।

3. वर्तमान याचिका में प्रार्थना की गई है कि प्रतिपक्षी को उनकी शिकायत पर विचार करने का निर्देश दिया जाए।

4. विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता के दावे का प्रथम दृष्टया तीसरे प्रतिपक्षी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, आजमगढ़, उत्तर प्रदेश द्वारा निस्तारण किया जाना आवश्यक है।

5. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता को इस प्रकार की दलील पर कोई आपत्ति नहीं है और वे इसे सहर्ष स्वीकार करते हैं।

6. दोनों पक्षों की दलीलों और उनके रुख पर विचार करते हुए, रिट याचिका का निस्तारण इस शर्त के साथ किया जा रहा है कि याचिकाकर्ता को याचिका की स्व-सत्यापित प्रति सहित एक विस्तृत अभ्यावेदन तीसरे प्रतिपक्षी के समक्ष प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता दी जाए। तीसरे प्रतिपक्षी को यह अभ्यावेदन 07.11.2025 तक प्राप्त हो जाने पर, याचिकाकर्ता के दावे पर कानून के अनुसार, आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की तिथि से एक माह के भीतर निर्णय लेना होगा। यदि तीसरे प्रतिपक्षी की राय है कि प्रकरण का निर्णय किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा किया जाना है, तो कागजात उन्हें भेज दिए जाएंगे। इस आदेश का लाभ केवल तभी प्राप्त होगा जब याचिकाकर्ता संबंधित पद पर कार्यभार ग्रहण करेगा।

7. यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि रिट याचिका का निर्णय प्रतिपक्षी से कोई प्रतिक्रिया मांगे बिना किया गया है। अतः, इस आदेश को पारित करना यह संकेत नहीं माना जाना चाहिए कि न्यायालय ने प्रकरण के गुण-दोषों पर विचार किया है।

8. पूर्व अवलोकन के साथ, रिट याचिका का निस्तारण किया जाता है।"



5. इसके बाद, याचिकाकर्ता ने 01.10.2025, 30.09.2025, 03.10.2025, 02.10.2025 और 04.10.2025 को अभ्यावेदन प्रस्तुत किए। हालांकि, आजमगढ़ के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा 03.12.2025 को याचिकाकर्ता को पास के किसी स्थान पर तैनात करने का आदेश पारित किया गया। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता का कहना है कि अभ्यावेदनों पर विचार किया जाना चाहिए था और स्थानांतरण के विरुद्ध उठाई गई आपत्तियों पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए था, लेकिन यह आदेश केवल इस आधार पर पारित किया गया है कि याचिकाकर्ता का दावा पास के किसी स्थान पर तैनाती द्वारा ही तय हो गया है।

6. दूसरी ओर विद्वान स्थायी अधिवक्ता का कहना है कि प्रकरण की पुनः जांच करने की आवश्यकता है, खासकर तब जब स्थानांतरण के प्रतिनिधित्व पर कोई विचार नहीं किया गया है।

7. तदनुसार, रिट याचिका का निर्णय निम्नलिखित शर्तों के अनुसार किया जा रहा है:-

(क) प्रतिपक्षी याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदनों पर आज से छह सप्ताह की अवधि के भीतर नए आदेश पारित करेंगे।

(ख) मुख्य चिकित्सा अधिकारी का दिनांक 03.12.2025 का आदेश अंतिम पारित आदेशों के अधीन होगा और उन पर निर्भर करेगा।

8. पूर्व टिप्पणियों के साथ, रिट याचिका का निस्तारण किया जाता है।

22 जनवरी, 2026

एन.एस.राठौर

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)